A2
5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

18/13

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :–18 / 13

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व,श्रीकरणपुर ....प्रार्थी

बनाम

मेथी बाई बेवा भारू मल जाति अरोड़ा निवासी श्रीगंगानगर।
काबिज
1. जीतसिंह पुत्र गहना सिंह जाति राय सिख निवासी 14 एस माझीं वाला तहसील श्री करणपुर।

.... अप्रार्थी

रैफरेंस अर्न्तगत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–
1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से ।
2. श्री बचनसिंह सिंह एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से ।

।। निर्णय।। दिनांकः– 10/3/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि चक 14 एस की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 65(मु0नं028 का किला नम्बर 16–25 व मु0नं0 29 का किला नम्बर 19 से 22) की तादादी 6.00 बीघा भूमि गैर मुमकिन जोहड़ के नाम से दर्ज थी। इन्तकाल संख्या 65 द्वारा उक्त रकबा को मैनेजिंग आफिसर श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक एम.ओ. गंगानगर / अलाटमेंट / 1830 / 73 / 3896 दिनांक 18.04.1973 द्वारा मेथी बाई बेवा भारू मल जाति अरोड़ा निवासी श्री गंगानगर कस्टोडियन अलाटी के नाम आवंटन आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। अतः रैफरैंस स्वीकार करते हुए आवंटित उक्त भूमि को निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जावे।

रैफरेन्स पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया।सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया।इस संबंध में नोटिस जारी किये जाने पर तहसीलदार, द्वारा रिपोर्ट क्रमांक 4217 दिनांक 06.02.14 प्रेषित की गई कि उक्त रकबा पर जीतसिंह–मलकीयतसिंह पिसरान गहनासिंह रायसिख साकिन 14 एस का कब्जा काश्त है। जीतसिंह द्वारा उक्त भूमि के संबंध में इकरारनामा दिनांक 02.07.1974 पेश किया गया है। अप्रार्थी की ओर से श्री बचनसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि पर 02.07.1974 से मौका पर प्रार्थी का चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी को पार्टी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाये।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन का

क्टर (सतर्कता)
गर

18/13

अधिकार मैनेजिंग आफिसर श्री गंगानगर को नहीं था। अतः जैसे रैफरेन्स आदेश दिनांक 18.04.1973 वेधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जाव।

हाजिर अदालत जीतसिंह के अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा दौराने बहस समायत किया गया कि भूमि हाजा पर पर जीतसिंह–मलकीयतसिंह पिसरान गहनासिंह रायसिख साकिन 14 एस का कब्जा काश्त है। उन्हे पक्षकार बनाया जावे व गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी जीत सिंह को हितबद्ध होने के कारण पक्षकार बनाया जाता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

Power to call for record and proceding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थीया मेथी बाई के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रैफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश तहसीलदार श्री करणपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रैफरैंस माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

A2
5